संख्या-2/2018/137/तीन-2018-01(09)/18

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
2-सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
4-सचिव, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।
5-सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 09 फरवरी 2018।

विषय:- उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग एवं उ0 प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में छः दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाना।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पाच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किये जाने विषयक शासनादेश सं0-5/2016/1533/तीन-2004-77(22)/79, दिनांक 30 अक्टूबर 2004 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार उपर्युक्त आयोगों में भी पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया गया है।

1. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश के विभिन्न आयोगों में परीक्षाओं के बैकलाग समाप्त करने तथा अन्य कार्यों को त्वरित गति से निस्तारित किये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद एवं उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह को समाप्त करते हुए छः दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद एवं उ0प्र0 उच्चतर सेवा आयोग, इलाहाबाद में छः दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाता है। फलतः सोमवार से शनिवार कार्य दिवस एवं रविवार अवकाश रहेगा। कार्य दिवस में कार्यालय पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 तक खुला रहेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3. उत्तर प्रदेश के उक्त उल्लिखित आयोगों में छः दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2018 की शासन की अवकाश विषयक विज्ञप्ति संख्या-813/तीन-2017-39(2)-2016, दिनांक 10 नवम्बर 2017 के पृष्ठ-04 में इंगित कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत घोषित अवकाश उक्त आयोगों में लागू होंगे।

भवदीय
(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2-- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
3- समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निजी सचिव।
4- मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, उ0प्र0 शासन।
5- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0 शासन।
7- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
8- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
10- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11- सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण), भारत सरकार नई दिल्ली।
12- सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्यों का विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाचबाद/लखनऊ।
14- शासन के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
(डा0 हरिओम)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in